समेकित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के छतोपरि (रूफटाप) पी.व्ही. सौर ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत उपार्जन हेतु दरों का निर्धारण) विनियम, 2013

(दिनांक 16.06.2017 की अधिसूचना तक समेकित)

विनियम का नाम	विनियम का क्रमांक	अधिसूचना दिनांक
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के छतोपरि (रूफटाप) पी.व्ही. सौर ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत उपार्जन हेतु दरों का निर्धारण) विनियम, 2013	52 / छ.ग.रा.वि.नि.आ. / 2013	07.10.2013
छ.ग.रा.वि.नि.आ. (राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के छतोपरि (रूफटाफ) पी.व्ही. सौर ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत उपार्जन हेतु दरों का निर्धारण) (प्रथम संषोधन) विनियम 2016	77 / छ.ग.रा.वि.नि.आ. / 2016	16.06.2017

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर

रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर, 2013

क्र. 52 / छ.ग.रा.वि.नि.आ. / 2013:—भारत सरकार द्वारा नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतो को पयावरर्ण अनुकूल होने के वजह से एक विषेष महत्तव देता है । विद्युत अधिनियम 2003 भी भारत सरकार को नीति निर्धारण हेतु सुविधा प्रदान करता है एवं राज्य विद्युत नियामक आयोगों को उनके अधिकार क्षेत्र में नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतो को बढ़ावा देने हेतु आदेषित करता है।

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन ने भारत में सौर विद्युत के क्षेत्र हेतु द्वार खोल दिये। इस मिशन का प्राथमिक रूप से ध्यान वृहत पैमाने पर ग्रिड से संयोजित सौर विद्युत संयंत्रों को बढ़ावा देने पर है। सौर फोटो वोल्टेक मॉड्यूलों और इसके अन्य उपस्करों की एक ओर कीमतों में कमी होने और दूसरी ओर कतिपय उपभोक्ता श्रेणियों की दरों वृद्धि को देखते हुये ग्रिड से संयोजित सौर छतोपरि (रूफटाप) पी.व्ही प्रणालियां आर्थिक रूप से आधिकाधिक वहनीय होती जा रही हैं। ऐसी सौर प्रणालियां पर्यावरण के प्रति मित्रवत हैं और पारेषण तथा वितरण हानियों को कम करने की दृष्टि से व्यापक लाभकारी और विद्युत की गुणवत्ता सुधार में कुछ हद तक उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। राज्य में सौर विद्युत उत्पादन की प्रतिबद्धता को देखते हुये यह अनुभव किया गया कि वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के छतोपरि (रूफटाप) पी.व्ही सौर विद्युत संयंत्रों से विद्युत उद्ग्रहण हेतु दरों और अन्य संबंधित व्यवस्थाओं को सम्यक रूप से एक विनियम द्वारा व्यवस्थित किया जाए। ऐसी परियोजनाओं से वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त की गई विद्युत, उनके नवीकरणीय क्रय दायित्व हेतु अर्ह होगी

विद्युत अधिनियम, 2003 (सन् 2003 का 36) विनियम की धारा 61, 86 सहपठित धारा 181 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (आयोग) एतद्

द्वारा निम्नलिखित विनियम, राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के छतोपरि (रूफटाप) पी.व्ही. सौर परियोजनाओं से विद्युत उर्पाजन हेतु दरों के निर्धारण हेतु, बनाता है ।

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ

(1) इन विनियमों को **''छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के छतोपरि (रूफटाप) पी.व्ही. सौर ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत उपार्जन हेतु दरों का निर्धारण) विनियम, 2013''** कहलायेंगे।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रभावशील होंगे।

2. परिभाषाएं और निर्वचन

(1) इन दिशा–निर्देशों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) **'अधिनियम'** से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम, 2003 और उसमें किए गए परवर्ती संशोधन;

(ख) **'केंद्रीय विद्युत प्राधिकारी या प्राधिकारी'** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (1) में संदर्भित प्राधिकारी।

(ग) **'आयोग'** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 82 की उपधारा (1) में संदर्भित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग;

(घ) **'मौजूदा परियोजना'** से अभिप्रेत है, ऐसी उत्पादन परियोजनाएं जो इन विनियमों की अधिसूचना से पहले की किसी दिनांक से संचालन में हैं;

(ड.) **'ग्रिड मीटर'** या **'जीएम'** से अभिप्रेत है, आयात या निर्यात के मीटर, जिनके आधार पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत देयक निकाले जायेंगे;

(च) **'प्रतिष्ठापित क्षमता'** या आई.सी. से अभिप्रेत है, राज्य प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर अनुमोदित छतोपरि (रूफटाप) पी.व्ही. और सौर विद्युत उत्पादन प्रणाली की समस्त इकाइयों की नामपट्टी क्षमताओं का कुल योग या उत्पादन केंद्र की क्षमता;

(छ) **'अंतर्बिन्दु संयोजन'** से अभिप्रेत है, छतोपरि (रूफटाप) पी.व्ही और विद्युत उत्पादन सुविधा का 33 केवी वोल्टेज स्तर से नीचे का अन्तर्फलक बिन्दु (इंटरफेस पॉईंट);

(ज) **'एमएनआरआई'** से अभिप्रेत है भारत सरकार का नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय;

[1]{(झ) '**छतोपरि (रूफटाफ) पी.व्ही. एवं भूधृत सौर ऊर्जा परियोजना अथवा परियोजना**' का तात्पर्य ऐसे छतोपरि (रूफटाफ) पी.व्ही. एवं भूधृत सौर ऊर्जा संयंत्र से है जिसकी क्षमता 10 कि.वा. या इससे अधिक 1 मेगावाट तक हो जिसमे यथास्थिति अन्तर्संयोजन बिन्दु तक निकासी प्रणाली सम्मिलित है।}[1];

(ञ) **'राज्य अभिकरण'** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण;

[1]{(ट) '**सौर मीटर या एस. एम.**' से अभिप्रेत है, कोई मीटर या जिसे छतोपरि (रूफटाफ) पी. व्ही. और अन्य भूधृत सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र द्वारा उत्पादित विद्युत के लेखांकन हेतु उपयोग किया जाता है।}[1];

(ठ) **'उपयोगी जीवनावधि'** किसी छतोपरि (रूफटाप) पी.व्ही और भूधृत विद्युत उत्पादन संयंत्र, जिसमें अंतर्संयोजन बिंदु तक निकासी की प्रणाली सम्मिलित है, के संबंध में अभिप्रेत है, ऐसी उत्पादन सुविधा के वाणिज्यिक संचालन की तिथि से पच्चीस वर्ष की अवधि;

(ज) **'वर्ष'** से अभिप्रेत है, कोई वित्तीय वर्ष।

1. विनियम क्रमांक 77/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2016 द्वारा दिनांक 02.06.2017 से प्रतिस्थापित

2. अन्य समस्त अभिव्यक्तियां जिनका यहां उपयोग किया गया है, तथापि जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में प्रदान किया गया है। अन्य अभिव्यक्तियां जिनका यहां उपयोग तो किया गया है, तथापि इन विनियमों में अथवा अधिनियम में विशिष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है परंतु राज्य में विद्युत उद्योग के प्रयोज्य, संसद द्वारा पारित किसी विधि में परिभाषित किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें ऐसी विधि में प्रदान किया गया है। उपर्युक्त के अध्यधीन यहां प्रयुक्त परंतु इन विनियमों में या संसद द्वारा पारित किसी विधि में विशिष्टतया परिभाषित न की गई अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें सामान्यतया विद्युत उद्योग में प्रदान किया जाता है।

3. क्षेत्र और लागू होने की सीमा

ये विनियम उन सभी प्रकरणों में लागू होंगे जहां छतोपरि (रूफटाप) पी.वी. और अन्य भूधृत पी. वी. सौर विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत हेतु दरों का अवधारण आयोग द्वारा अधिनियम की धार 62 सहपाठित धारा 86 के अधीन किया जाना हो। परंतु ये विनियम इन विनियमों के विनियम 4 में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदण्डों की पूर्ति के अध्यधीन होंगे।

4. पात्रता मानदंड

(1) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा यथा अनुमोदित, निम्नानुसार तकनीकी वांछाओं को पूरा करने वाली छतोपरि (रूफटाप) पी.व्ही. और भूधृत सौर ऊर्जा तकनीकें;

(क) पीवी मॉड्यूल और इन्वर्टर

i. मात्र ऐसी छतोपरि (रूफटाप) पी.व्ही. सौर विद्युत परियोजनाएं जो सुसंगत आईईसी/बीआईएस मानकों के अनुरूप और/अथवा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट प्रयोज्य मानकों के अनुरूप पी.व्ही. मॉड्यूल और इन्वर्टर प्रणालियों को लगाती हैं, तकनीकी रूप से अर्हित समझी जायेंगी।

ii. लगाये जाने वाले उपकरण की गुणवत्ता सुसंगत भारतीय मानक संस्थान अथवा अन्य मानकों में सूचीबद्ध अभियांत्रिकी रूपांकन हेतु दिशा–निर्देशों के अनुरूप होने चाहिए,

(ख) पात्र परियोजना क्षमता

ऐसी छतोपरि पीवी सौर विद्युत परियोजनाएं जिनकी क्षमता 50 किलोवॉट एवं इससे अधिक और एक मेगावॉट तक है, बशर्ते वे अन्य तकनीकी वांछाओं की पूर्ति करती हों, को ही तकनीकी रूप से पात्र समझा जायेगा।

[1]{(ग) दृढ़ संयोजकता

i अन्य तकनीकी आवष्यकताओं की पूर्ति के अध्यधीन केवल ऐसी छतोपरि (रूफटाप) पी. व्ही. व अन्य भूधृत पी.व्ही. सौर विद्युत परियोजनाएं जो 33 के.व्ही. से नीचे के वोल्टेज स्तर की वितरण प्रणाली से संयोजित है, इन विनियमों के अधीन ऐसी परियोजनाओं के लिए मूल दर निर्धारण करने हेतु पात्र होंगी। वोल्टेज के संदर्भ में राज्य ग्रिड से अंतर्वेषन/आहरण हेतु विहित मात्रा निम्नानुसार हैः–

एस.पी.व्ही क्षमता	प्रकार	निकासी स्तर
10 के.व्ही.– 100 के.व्ही.	छतोपरि भूधृत	न्यूनतम 415 वोल्ट, 3 फेज, 50 हर्ट्स
101 के.व्ही. – 1000 के.व्ही.		न्यूनतम 11 के.व्ही., 3 फेज, 50 हर्ट्स

परंतु यदि एस.पी.व्ही. परियोजना का प्रतिष्ठापित क्षमता अनुज्ञप्तिधारी से मांग प्रभार से अधिक है, उस स्थिति में डेव्हलपर द्वारा विद्युत प्रदाय संहिता के अनुसार मूलभूत संरचना के विस्तार/विकास लागत को वहन किया जायेगा, जिससे कि अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत को रिक्त करने हेतु सुविधा मिले।}[1]

ii. सामान्य रूप से संयोजकता के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट वांछनाएं प्रयोज्य होंगी।

iii. अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली से संयोजकता का कार्य, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि, मुख्य विद्युत निरीक्षक और राज्य अभिकरण की उपस्थिति में किया जायेगा।

(घ) मीटरिंग के प्रबंध

i. मीटरिंग संबंधी आवश्यकतायें, मीटरों का प्रतिस्ठापन और संचालन केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियमों के अनुसार होंगे।

ii. मीटरिंग के द्वारा सौर सकल उत्पादन, उपभोक्ता भार खपत, ग्रिड से विद्युत का निर्यात और ग्रिड में विद्युत का आयात के साथ–साथ, एसी सिस्टम वोल्टेज और करेंट, फ्रिक्वेंसी आदि का मापन करना होगा।

iii. वांछित डीजी सैट और/अथवा बैटरी इन्वर्टर आदि को समायोजित करने के लिए प्रस्तावित मीटरिंग सकीम में, सौर विकासकर्ता की आवश्यकतानुसार, बिना पूरे स्कीम की सुरक्षा और सीलिंग, मय सोलर पैनल से सोलर मीटर तक की सभी केबलिंग और स्विचगियर को प्रभावित करते हुए आवश्यक परिवर्तन किए जा सकेंगे।

iv. ग्रिड मीटर और सोलर मीटर, यथा–केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के मीटरिंग विनियमन अनुसार इंटरफेस प्रकार के होंगे। ये मीटर दिन समय (ToD) वांछाओं के अनुरूप भी हो सकते हैं, जिससे इस प्रकार की मीटरिंग को आने वाले समय में समायोजित (एकोमोडेट) किया जा सके। सोलर मीटर को सौर ऊर्जा (SEM) के रूप में दर्शित शुद्ध सौर ऊर्जा–निर्यात की रीडिंग को भी अभिलिखित करना चाहिए।

v. ग्रिड मीटर का प्रतिष्ठापन और संधारण, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी से संयोजित परियोजना विकासकर्ता के लिए और उसके व्यय पर किया जाएगा।

[1]{(ङ.) संचार प्रणाली की आवष्यकता

(i) संचार प्रणाली ग्रिड इंटरएक्टिव होना चाहिए और उसे इस योग्य होना चाहिए कि वह रियल टाईम (तत्क्षण) डाटा लॉगिंग, ईवेन्ट लॉगिंग, अधीक्षण नियंत्रण, संचालन मोड और सेट पवाईंट संपादन का समर्थन कर सकें। जिन मानदंडो का मापन किया जाना है, और उन्हें लगातार प्रदर्षित करना है उनमें सौर प्रणाली तापमान, एम्बियंट तापमान अविकिरण/आइसोलेषन, डी.सी. करंट और वोल्टेज, ग्रिड मे एसी अंतःक्षेपण (प्रतिष्ठापन के समय एकबारगी मापन), इन्वर्टर की दक्षता, सौर प्रणाली दक्षता, परिपक्व प्रथाओं पर आधारित पी. व्ही. सौर प्रणाली के प्रदायकर्ता द्वारा आवष्यक समझे गए कोई अन्य मानदंड सम्मिलित है। डाटा लॉगर प्रणाली को विभिन्न पर्यावरणीय और ग्रिड मानदंडों के सौर प्रणाली द्वारा उत्पादित विद्युत पर प्रभाव के अध्ययन हेतु इन मानदंडो को अभिलिखित करना चाहिए और बार चार्टो, कर्वों, तालिकाओं के माध्यम से विभिन्न विष्लेषण उपलब्ध करना आवष्यक होगा, जिन्हें रेखांकनों (ड्राईंग्स) के अनुमोदन के दौरान ही अंतिम रूप देना होगा।

1. विनियम क्रमांक 77/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2016 द्वारा दिनांक 02.06.2017 से प्रतिस्थापित

(ii) संचार अंतर्फलक, इन्वर्टर का अविभाज्य भाग होगा और स्थानीय कम्प्यूटर एवं वेब के माध्यम से या तो मानक मोडेम या जीएसम/वाई–फाई मोडेम का उपयोग करते हुए रिमोट से संयोजित करने योग्य होगा।}[1]

(च) विद्युत गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताएं –

i. ग्रिड में डीसी अंतःक्षेपण–इन्वर्टर के आऊटपुट पर एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का उपयोग करके ग्रिड में डीसी विद्युत का अंतःक्षेपण बचाया (रोका) जायेगा।

ii. एसी साइड पर हार्मोनिक्स–एसी साइड पर हार्मोनिक्स की सीमाएं सुसंगत केन्द्रीय विद्युत प्रधिकरण के विनियमों से तय की जाएंगी।

iii. वोल्टेज के परिवर्तन–एचवी साइड पर वोल्टेज का असंतुलन सुसंगत केन्द्रीय विद्युत प्रधिकरण के विनियमों से तय की जाएँगी।

iv. वोल्टेज के कम या अधिक होने की दशाओं में, कोई आपूर्ति न होने पर ग्रिड से विसंयोजन के अतिरिक्त, पीवी प्रणालियों में समुचित रेटिंग के फ्यूज़, इन्वर्टर के इनपुट (डीसी) और आऊटपुट (एसी) साइड पर ओवरलोड के फ्यूज़ और शार्ट सर्किट बचाव तथा संधारण हेतु डीसी और एसी प्रणाली को आइसोलेटे करने हेतु विसंयोजन स्विच लगाए जाएँगे।

v. शार्ट सर्किट से बचाव के लिए, प्रत्येक सौर अरे मॉड्यूल में समुचित रेटिंग के फ्यूज़ उपलब्ध कराये जाएँगे।

vi. मेन्युअल विसंयोजन स्विच : इन्वर्टर की स्वचलित विसंयोजन प्रणाली में किसी गड़बड़ी की आशंका को दूर करने के लिए ग्रिड में स्वचालित विसंयोजन के साथ–साथ, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कर्मचारी द्वारा ग्रिड से विसंयोजन करने और किसी प्रकार का संधारण कार्य करने हेतु मेन्युअल (मानवीय) विसंयोजन स्विच भी उपलब्ध कराया जाएगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी के फीडर के आयोजित शटडाउन के दौरान यह स्विच वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कर्मचारी द्वारा तालाबंद (लॉक) कर दिया जाएगा। स्विच की तालाबंदी (लॉकिंग) की आवश्यकता केवल शटडाउन के दौरान ही हो सकती है।

(छ) ऑफ ग्रिड एसपीवी से समानान्तर संचालित कोई अन्य जनरेटर इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों हेतु पात्र नहीं होंगे।

(ज) परियोजना विकासकर्ता केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विहित सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(2) ऐसी छतोपरि (रूफटाप) और भूधृत विद्युत परियोजनाएं जो विद्युत नियम, 2005 में यथाविहित कैप्टिव उत्पादन संयंत्र की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, केवल वही इन विनियमों के अनुसार विनिर्दिष्ट मूल (जेनरिक) दरों के लिए पात्र होंगी।

(3) ग्रिड बाहर के सौर फोटो वोल्टिक विद्युत संयंत्र, चाहे वे छतोपरि (रूफटाप) हों या भूधृत, इन विनियमों के अधीन उनके लिए दरें केंद्र एवं राज्य की पूंजी सहायता से चरण–1 में जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत प्रतिष्ठापित नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं हेतु प्रयोज्य अनुसार होंगी।
ऐसी परियोजनाओं को विद्युत नियम, 2005 के अंतर्गत कैप्टिव उत्पादन संयंत्र के रूप में अर्हित होना चाहिए। ऐसी परियोजनाएं जो सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों, अन्य अस्पतालों और निजी दानार्थ संगठनों के स्वास्थ्य केन्द्रो, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों और शैक्षणिक संगठनों, सरकारी कार्यालयों और संगठनों, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इस उद्देश्य से पहले से प्रोत्साहित

1. विनियम क्रमांक 77/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2016 द्वारा दिनांक 02.06.2017 से प्रतिस्थापित

आवासीय संकुल और नवीकरणीय स्रोतों के विकास के लिए कोई राज्य अभिकरण, नगरपालिका जैसे स्थानीय निकाय, पंचायतें, और उसी परिसर में स्थित उपभोक्ता सहकारी समितियों और अन्य गैर घरेलू प्रतिष्ठापन।

5. नियंत्रण अवधि अथवा पुनरीक्षण अवधि –

इन नियमों के अधीन नियंत्रण अवधि अथवा पुनरीक्षण अवधि 01/04/2013 से 31/03/2016 रहेगी।

6. दर अवधि –

(1) छतोपरि (रूफटाप) पी.व्ही. सौर विद्युत परियोजनाओं हेतु दर अवधि, सौर विद्युत उत्पादन प्रणालियों के वाणिज्यिक संचालन की तिथि से पच्चीस (25) वर्ष की रहेगी।

(2) मौजूदा परियोजना हेतु इन विनियमों के अंतर्गत दर अवधि, परियोजना विकासकर्ता और वितरण अनुज्ञप्तिधारी के बीच परस्पर सहमति की दिनांक से विचार में ली जायेगी।

(3) इन विनियमों के अनुसार निर्धारित दर अनुच्छेद 6 (1) के अंतर्गत दर्शाये अनुसार संपूर्ण दर अवधि के दौरान प्रयोज्य होगी।

7. दर –

(1) नवीन परियोजना हेतु प्रयोज्य दर, सौर पी.व्ही. आधारित विद्युत परियोजनाओं हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों से उत्पादित विद्युत की उत्पादन दर और संबंधित विषयों के निर्धारण की शर्तें और दशायें) विनियम, 2012 के अध्याय 7 के प्रावधानों के अनुसार सुसंगत वर्ष हेतु अवधारित मूल स्तरीकृत (जेनेरिक लेवलाईज्ड) दर की 50 प्रतिशत होगी।

(2) मौजूदा परियोजना हेतु प्रयोज्य दर, सौर पी.व्ही. आधारित विद्युत परियोजनाओं हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों से उत्पादित विद्युत की उत्पादन दर और संबंधित विषयों के निर्धारण की शर्तें और दशायें) विनियम, 2012 के अध्याय 7 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2013–14 हेतु अवधारित मूल स्तरीकृत (जेनेरिक लेवलाईज्ड) दर की 50 प्रतिशत होगी।

(3) इन विनियमों के अधीन अवधारित दर, मूल स्तरीकृत (जेनेरिक लेवलाईज्ड) दर होगी।

(4) आयोग द्वारा, स्वप्रेरित याचिका क्रमांक 18/2013 में दिंनाक 03/05/2013 को पारित आदेष में जेनरिक लेवलाईज्ड दर, वर्ष 2013–14 में सी.ओ.डी. प्राप्त करने वाले विद्युत संयंत्रों हेतु निर्धारित किया गया है। अतः मौजूदा संयंत्रों एवं वर्ष 2013–14 में सी.ओ.डी. प्राप्त करने वाले एस.पी.व्ही. संयत्रों हेतु विद्युत दर 4.35 प्रति यूनिट होगी। विद्युत संयंत्र विकासकर्ता द्वारा विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ एक दीर्घअवधि विद्यूत क्रय समझौता (पी.पी.ए) करना होगा। वर्ष 2013–14 के उपरांत सी.ओडी. प्राप्त करने वाले विद्युत संयंत्रों की विद्युत दर आयेग के आगामी आदेषों के अनुसार होगी।

8. बिलिंग पद्धति –

(1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, उपभोक्ता (जिसके परिसर में परियोजना प्रतिष्ठापित की गई है) के लिये प्रदाय की गई विद्युत और जैसी वह उपभोक्ता श्रेणी हेतु प्रयोज्य दरों के अनुरूप ग्रिड मीटर में अभिलिखित की गई है का देयक भेजा जायेगा।

(2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परियोजना से प्राप्त और इन विनियमों के अनुच्छेद 7 में विनिर्दिष्ट दर पर ग्रिड मीटर में अभिलिखित विद्युत के लिये परियोजना विकासकर्ता को भुगतान किया जायेगा।

(3) ऐसे संयंत्र में उत्पादित सकल विद्युत का 51 प्रतिशत से अन्यून, जिसे वार्षिक आधार पर निर्धारित किया गया है कैप्टिव उपयोग के लिए उपभोग में लिया जाना चाहिए। ऐसी परियोजनाओं द्वारा वितरण प्रणाली में वार्षिक विद्युत अंतःक्षेपण वार्षिक सकल उत्पादन का 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। ऐसे प्रकरण में जहां परियोजना द्वारा विद्युत का अंतःक्षेपण 49 प्रतिशत से अधिक हुआ है, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रदाय की गई आधिक्यपूर्ण विद्युत, विद्युत–निर्यात हेतु अर्ह नहीं होगी और ऐसी आधिक्यपूर्ण विद्युत के लिए कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

9. विलंब से भुगतान हेतु अधिभार –

(1) ऐसी दशा में जहां इन विनियमों के अधीन भुगतान योग्य प्रभारों का किसी देयक का भुगतान, किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देयक की तिथि से 30 दिन की अवधि के बाद किया जाता है वहां बकाया राशि अथवा उसके किसी भाग पर 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से विलंब भुगतान अधिभार, परियोजना विकासकर्ता द्वारा वसूल किया जायेगा।

(2) फुटकर उपभोक्ता हेतु विलंब भुगतान प्रभार सुसंगत दर आदेश के प्रावधानों के अनुसार वसूलनीय होंगे।

10. ऐसी परियोजनाओं से वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त की गई विद्युत, जो कि इन विनियमों के अनुसार है, उनके नवीकरणीय क्रय दायित्व हेतु अर्ह होगी।

11. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति –

आयोग, या तो स्वतः या किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने पर, इन विनियमों को पुनरीक्षित कर सकेगा और इन विनियमों के प्रावधानों को प्रभावषील करने में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए समुचित आदेष पारित कर सकेगा।

टीपः– इस विनियम के हिन्दी संस्करण की अंग्रेजी संस्करण से प्रावधानों की व्याख्या या समझने में अंतर होने की दशा में, अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) का तात्पर्य सही माना जाएगा और इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार

(पी.एन. सिंह)
सचिव

स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन

1. विद्युत अधिनियम, 2003 (सन् 2003 का 36) विनियम की धारा 61, 86 सहपठित धारा 181 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, नामतः छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों से उत्पादित विद्युत की उत्पादन दर और संबंधित विषयों के निर्धारण की शर्तें और दशायें) विनियम, 2012 (एतस्मिनपश्चात् मूल विनियम कहे जायेंगे) अधिसूचित किये गये थे। ये विनियम पवन आधारित विद्युत उत्पादन केंद्रों, लघु जल विद्युत उत्पादन केंद्रों, बायोमॉस आधारित विद्युत उत्पादन केंद्रों और सौर आधारित विद्युत उत्पादन केंद्रों हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को विद्युत के विक्रय के उद्देश्य से दर की शर्तों और दशाओं को विनिर्दिष्ट करते हैं।

2. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश में सौर ऊर्जा के विकास हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा), जो राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास हेतु संपर्क अभिकरण है तथा राज्य के अन्य कई सौर ऊर्जा विकासकर्ताओं, संगठनों/संस्थाओं जिनके पास छतोपरि सौर पीवी विद्युत संयंत्र हैं, द्वारा छतोपरि सौर विद्युत परियोजनाओं के लिए दर सुनिश्चित करने हेतु अभ्यावेदन दिये गये थे। उनके द्वारा निवेदन किया गया था कि सौर विद्युत उत्पादन के अवकाशों/लीन (कमजोर) अवधियों जो हरित विद्युत है वह आधिक्य में हो जाती है और अनुपयोगित रह जाती है। किये गये अनुरोध के अनुसार ऐसी विद्युत की हानि एक राष्ट्रीय क्षति है और इसे समुचित रूप से हिसाब में लिया जाना चाहिए। इस निवेदन पर सम्यक रूप से विचार करने की आवश्यकता है और यह निर्णय लिया गया कि एक समुचित विनियम की संरचना से इन मुद्दों पर ध्यान दिया जाए।

   जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन ने भारत में सौर विद्युत के क्षेत्र हेतु द्वार खोल दिये। इस मिशन का प्राथमिक रूप से ध्यान वृहत पैमाने पर ग्रिड से संयोजित सौर विद्युत संयंत्रों को बढ़ावा देने पर है। सौर फोटो वोल्टेक मॉड्यूलों और इसके अन्य उपस्करों की एक ओर कीमतों में कमी होने और दूसरी ओर कतिपय उपभोक्ता श्रेणियों की दरों वृद्धि को देखते हुये ग्रिड से संयोजित सौर छतोपरि पीवी प्रणालियां आर्थिक रूप से आधिकाधिक वहनीय होती जा रही हैं। ऐसी सौर प्रणालियां पर्यावरण के प्रति मित्रवत हैं और पारेषण तथा वितरण हानियों को कम करने की दृष्टि से व्यापक लाभकारी और विद्युत की गुणवत्ता सुधार में कुछ हद तक उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। राज्य में सौर विद्युत उत्पादन की प्रतिबद्धता को देखते हुये यह अनुभव किया गया कि वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के छतोपरि पीवी सौर विद्युत संयंत्रों से विद्युत उद्ग्रहण हेतु दरों और अन्य संबंधित व्यवस्थाओं को सम्यक रूप से एक विनियम द्वारा व्यवस्थित किया जाए। ऐसी परियोजनाओं से वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त की गई विद्युत, उनके नवीकरणीय क्रय दायित्व हेतु अर्ह होगी

   विद्युत अधिनियम, 2003 (सन् 2003 का 36) विनियम की धारा 61, 86 सहपठित धारा 181 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (आयेाग) एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम, राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के छतोपरि पी.व्ही. सौर परियोजनाओं से विद्युत उर्पाजन हेतु दरों के निर्धारण हेतु, बनाता है ।

3. छतोपरि पीवी सौर विद्युत संयंत्र प्राथमिक रूप से अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा अपनी स्वयं की विद्युत संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रतिष्ठापित किये जाते हैं। ऐसे परियोजना विकासकर्ताओं को केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा छूट प्रदान की जाती है। विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार ऐसे संयंत्रों को कैप्टिव उत्पादन संयंत्र के रूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। कैप्टिव उत्पादन संयंत्र संबंधी वांछाएं विद्युत नियम, 2005 में विहित की गई हैं। राष्ट्रीय विद्युत नीति इस बात को रेखांकित करती है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारियों और कैप्टिव उत्पादकों के बीच कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से प्राप्त अतिरिक्त क्षमता के दोहन के लिये समुचित

वाणिज्यिक प्रबंध किये जाने चाहिए। राष्ट्रीय विद्युत नीति समुचित नियामक आयोग को कैप्टिव उत्पादकों और अनुज्ञप्तिधारियों के बीच ऐसे वाणिज्यिक प्रबंधों पर नियामक दृष्टिपात करने और जहां अनुज्ञप्तिधारी किसी कैप्टिव संयंत्र से विद्युत लेता है वहां दरों के निर्धारण हेतु आदेशित करती है। दर नीति में उल्लेखित है कि कैप्टिव उत्पादन संयंत्र द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रदाय की गई अतिरिक्त विद्युत के मूल्य में वास्तविक स्तरों पर उत्पादन की परिवर्तनीय लागत और क्षमता प्रभारों के लिए युक्तियुक्त क्षतिपूर्ति का समावेश होना चाहिए। लेकिन सौर विद्युत परियोजनाओं के मामलें में परिवर्तनिय प्रभारों का घटक होता है इसका अर्थ यह है कि छतोपरि विद्युत परियोजनाएं क्षमता प्रभारों के लिए युक्तियुक्त क्षतिपूर्ति की ही पात्र हैं। इसे ध्यान में रखते हुये कि छतोपरि सौर विद्युत विकासकर्ता द्वारा छूट प्राप्त की जा रही है और ऐसी परियोजनाओं को औचित्यपूर्ण क्षमता प्रभार दिये जाना हैं, यह प्रस्तावित है कि छतोपरि सौर परियोजना (मौजूदा और नवीन परियोजनाएं, दोनों) हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों से उत्पादित विद्युत की उत्पादन दर और संबंधित विषयों के निर्धारण की शर्तें और दशायें) विनियम, 2012 के अधीन सौर पीवी आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए अवधारित मूल स्तरीकृत दर का 50 प्रतिशत रखा जाए।

4. ऐसी सौर विद्युत परियोजनाओं की संयोजकता, मीटरिंग, ग्रिड मानक और सुरक्षा संबंधी पहूल सुसंगत केंद्रीय विद्युत प्राधिकारी के विनियमों से शासित होंगे।

5. परियोजना विकासकर्ता हेतु और उसके मूल्य पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समुचित मीटरिंग उपकरण प्रतिष्ठापित किये जायेंगे। शुद्ध विद्युत के लिए बिलिंग को अपनाने के बजाय यह प्रस्तावित है कि उपभोक्ताओं को खुदरा विद्युत बिलिंग एक सामान्य उपभोक्ता की भांति की जाए और विद्युत क्रय हेतु बिलिंग पृथक से की जाए।